मि0नं0 826/दावा/2019 मधुबाला बनाम् बाबूलाल

26/06/2019

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित की वाद पर बहस सुनी गयी। वादी ने वाद पेश किया है कि ग्राम तारज की जमाबंदी सं0 2972–75 की खाता सं0 358 की 2 किता की 3.07 बीघा एवं ग्राम तारज की ही खाता सं0 357 की 4 किता की 24.09 बीघा आराज़ी वादी एवं प्रति0 1 लगा0 7 के साथ शामलाती खाते में दर्ज है। उपरोक्त आराजी में वादीया का नाम बालूबाई पुत्री लक्ष्मण दर्ज रेकार्ड है, जबकि वादीया का सही नाम मधुबाला पुत्री लक्ष्मण है। राजस्व कर्मचारियों ने पिता लक्ष्मण का फौती नामान्तकरण दर्ज करते समय सही तरह से जानकारी प्राप्त नहीं की और न ही वादीया से कोई पूछताछ की जो गलत है। वादनी ने अपने आधार कार्ड, परिवार कार्ड व ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। आराजी के अन्य खातेदार रिंकूकुमार, कृष्णकुमार, चमेलीबाई बेवा गोकुलप्रसाद व खातेदार जगदीश पिता मांगीलाल व रामचरण, हरिबल्लभ पुत्र कान्हा पुष्पाबाई पुत्री कान्हा से वाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, इसलिये इनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादीया का वाद विरूध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिकी फरमायी जावे कि ग्राम तारज की जमाबंदी सं0 2972–75 की खाता सं0 358 की 2 किता की 3.07 बीघा एवं ग्राम तारज की ही खाता सं0 357 की 4 किता की 24.09 बीघा आराजी में वादीया का नाम बालुबाई पुत्री लक्ष्मण के स्थान पर मधुबाला पुत्री लक्ष्मण घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी तथा वादनी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। वादनी ने अपने वाद के समर्थन में स्वयं, गवाह बाबूलाल धाकड़, संतोषबाई धाकड के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp2 प्रदर्श कराये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। ग्राम तारज की जमाबंदी सं0 2972–75 की खाता सं0 358 की 2 किता की 3.07 बीघा एवं ग्राम तारज की ही खाता सं0 357 की 4 किता की 24.09 बीघा आराजी में बालुबाई पुत्री लक्ष्मण कौम धाकड़ सा0दे0 सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। आधार कार्ड सं0 219955436905, परिवार राशन कार्ड सं0 010394201008 में वादनी का नाम मधुबाला दर्ज है। ग्राम पंचायत तारज के प्रमाण पत्र दिनांक 30.04.19 के अनुसार मधुबाला पुत्री लक्ष्मण जाति धाकड़ निवासी तारज का बचपन का नाम बालुबाई था, इसको बालुबाई व मधुबाला दोनों नामों से बुलाते थे। मधुबाला व बालुबाई एक व्यक्ति का नाम है। इसका विवाह ग्राम सारोलाकलां में राधेश्याम के साथ हुआ है। वादनी एवं प्रस्तुत गवाह बाबूलाल धाकड़, संतोषबाई धाकड़ अपने बयानों में वादनी के वाद की पुष्टि करते हैं। वादनी के गवाह बाबूलाल व संतोषबाई वादग्रस्त आराजी में सह खातेदार दर्ज हैं तथा वादनी के भाई, बहिन हैं। इस प्रकार वादनी का वाद लिखित एवं मौखिक साक्ष्य से भली प्रकार साबित है। ऐसे में वादनी वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा ग्राम तारज की जमाबंदी सं0 2972–75 की खाता सं0 358 की 2 किता की 3.07 बीघा एवं ग्राम तारज की ही खाता सं0 357 की 4 किता की 24.09 बीघा आराजी में वादनी का नाम बालुबाई पुत्री लक्ष्मण कौम धाकड़ के स्थान पर मधुबाला पुत्री लक्ष्मण जाति धाकड़ शुद्ध किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। खाते की शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेंगी। राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड

निर्णय आज दि. 26.06.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।